रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 1972/श्रावण 16, 1894

No. 366] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 1972/SRAVANA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Food)

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 7th August 1972*

**S.O. 529(E).**—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to execise the powers of the Controller under the said order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture Department of Food, No. S.O. 438(E) dated the 22nd June, 1972, I hereby fix, with the prior

concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below, with effect from the 8th August, 1972, as follows:—

| | ZONE 'A' | | | ZONE 'B' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (other than the districts/areas specified in Zone 'B'), Chandigarh and Delhi | | | Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the districts of Almora, Chamoli, Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Uttar Kashi and the hilly areas of the districts of Dehra Dun and Nainital, in Uttar Pradesh. | | |
| | By producer | By wholesaler | By retailer | By producer | By wholesaler | By retailer |
| | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) |
| (a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 16·5 | 80·96 | 86·25 | 87·90 | 83 34 | 88·74 | 90·39 |
| 15·0* | 74·05 | 78·87 | 80·37 | 76. 21 | 81·14 | 82·64 |
| 4·0 | 21·58 | 22·95 | 23·35 | 22. 15 | 23·56 | 23·96 |
| 2·0 | 11·28 | 12·00 | 12·20 | 11. 57 | 12·30 | 12·50 |
| (b) *In high-density poly thene containers* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 1·0 | 5·98 | 6·36 | 6·46 | 6·12 | 6·51 | 6·619 |
| (c) *In returnable galvanised-steel drums* | | | | | | |
| Per kilogram, net. | | | | | | |
| (i) Aerated* | 4·86 | 5·18 | .. | 5·00 | 5·33 | .. |
| (ii) Non-aerated | 4·84 | 5·16 | .. | 4·98 | 5·31 | .. |
| (d) *Loose in small quantities* | | | | | | |
| Per kilogram, net. | .. | .. | 5·31 | .. | .. | 5·4 |

| | ZONE 'C' | | | ZONE 'D' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andhra Pradesh, Mysore, Tamil Nadu, Kerala, Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands and Pondicherry | | | Bihar, Orissa and West Bengal | | |
| | By producer | By wholesaler | By retailer | By producer | By wholesaler | By retailer |
| | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) |
| (a) *In tin container* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 16·5 | 78·37 | 83·53 | 85·18 | 81·34 | 86·64 | 88·29 |
| 15·0* | 71·69 | 76·40 | 77·90 | 74·38 | 79·23 | 80·73 |
| 4·0 | 20·95 | 22·29 | 22·69 | 21·67 | 23·05 | 23·45 |
| 2·0 | 10·97 | 11·67 | 11·87 | 11·33 | 12·04 | 12·24 |
| (b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 1·0 | 5·82 | 6·19 | 6·29 | 6·00 | 6·38 | 6·48 |
| (c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net. | | | | | | |
| (i) Aerated* | 4·70 | 5·01 | .. | 4·88 | 5·20 | .. |
| (ii) Non-aerated | 4·68 | 4·99 | .. | 4·86 | 5·18 | .. |
| (d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net. | .. | .. | 5·14 | .. | .. | 5·33 |

| | ZONE 'E' | | | ZONE 'F' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh Manipur and Mizoram. | | | Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu | | |
| | By producer (Rs.) | By wholesaler (Rs.) | By retailer (Rs.) | By producer (Rs.) | By wholesaler (Rs.) | By retailer (Rs.) |
| (a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 16·5 | 83·10 | 88·49 | 90·14 | 79·83 | 85·07 | 86·72 |
| 15·0* | 75·99 | 80.91 | 82·41 | 73·01 | 77·79 | 79·29 |
| 4·0 | 22·09 | 23·50 | 23·90 | 21·30 | 22·67 | 23·07 |
| 2·0 | 11·54 | 12·27 | 12·47 | 11·15 | 11·85 | 12·05 |
| (b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms) | | | | | | |
| 1·0 | 6·11 | 6·49 | 6·59 | 5·91 | 6·28 | 6·38 |
| (c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net. | | | | | | |
| (i) Aerated* | 4·99 | 5·31 | .. | 4·79 | 5·10 | .. |
| (ii) Non-aerated | 4·97 | 5·29 | .. | 4·77 | 5·08 | .. |
| (d) *Loose in small quantities* Per kilogram, net. | .. | .. | 5·44 | .. | .. | 5·24 |

NOTE.—(1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octori, terminal tax and similar other local taxes.

*Explanation.*— In this notification

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16·5 kgs. of vegetable oil products to any one consumer at a time.

(ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product

(a) to a retailer in any quantity, or

(b) to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time.

[No. 12-2/72-C&P.]

F. G. T. MENEZES,
Director (Vanaspati).

## कृषि मंत्रालय

## (खाद्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1972

का० आ० 529 (अ).—यतः, मैं एफ० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया हूं ।

त: अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 882 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वन पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 6 के 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) सूचना सं० का० आ० 438 (ई) तारीख 22-6-1972 को अधिकृत करते हुए, मैं एतदद्वारा रकार की पूर्व सहमति से अधिकतम किमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट ोनों में 8-8-1972 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूं :——

| | जोन 'क' | | | जोन 'ख' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (जोन 'ख' में दिये गये जिलों तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त), चंड़ीगढ़ और दिल्ली । | | | हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, चमौली, गढ़वाल, पिथोड़ागढ़, टेरी गढ़वाल, और उत्तर काशी जिले, था देहरादून और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र । | | |
| | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक-विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक-विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| टिन के आधानों में<br>ामों में<br>ारिता) | | | | | | |
| 5 . | 80.96 | 86.25 | 87.90 | 83.34 | 88.74 | 90 39 |
| 0 * . | 74.05 | 78.87 | 80.37 | 76.21 | 81.14 | 82.64 |
| . | 21.58 | 22.95 | 23.35 | 22.15 | 23.56 | 23.96 |
| . | 11.28 | 12.00 | 12.20 | 11 57 | 12.30 | 12.50 |
| च्च घनत्व के<br>थीन के आधानों में]<br>ामों में शुद्ध धारिता) | 5.98 | 6.36 | 6.46 | 6.12 | 6.51 | 6.61 |
| लौटाए जाने योग्य<br>शर इस्पात के<br>में<br>किलोग्राम, शुद्ध | | | | | | |
| वातित . | 4.86 | 5.18 | — | 5.00 | 5 33 | — |
| अवातित . | 4.84 | 5.16 | — | 4.98 | 5.31 | — |
| बुला, थोड़ी मात्रा में<br>किलोग्राम, शुद्ध | — | — | 5.31 | — | — | 5.46 |

| | जोन 'ग' | | | जोन 'घ' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, लक्काद्वीप, मिनिकाय, और/अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी | | | बिहार, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल | | |
| | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (क) टिन के आधानों में | | | | | | |
| (किलोग्रामों में शुद्ध-धारिता) | | | | | | |
| 16.5 . | 78.37 | 83.53 | 85.18 | 81.34 | 86.64 | 88.29 |
| 15.0* . | 71.69 | 76.40 | 77.90 | 74.38 | 79.23 | 80.73 |
| 4.0 . | 20.95 | 22.29 | 22.69 | 21.67 | 23.05 | 23.45 |
| 2.0 . | 10.97 | 11.67 | 11.87 | 11.33 | 12.04 | 12.24 |
| (ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के आधानों में | | | | | | |
| (किलोग्रामों में शुद्ध-धारिता) | | | | | | |
| 1.0 | 5.82 | 6.19 | 6.29 | 6.00 | 6.33 | 6.48 |
| (ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में | | | | | | |
| प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध | | | | | | |
| (i) वातित | 4.70 | 5.01 | — | 4.88 | 5.20 | — |
| (ii) अवातित | 4.68 | 4.99 | — | 4.86 | 5.18 | — |
| (घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध | — | — | 5.14 | — | — | 5.33 |

| | जोन 'ङ' | | | जोन 'च' | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोराम । | | | गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव । | | |
| | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक-विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) | उत्पादक द्वारा (रु०) | थोक-विक्रेता द्वारा (रु०) | फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता) | | | | | | |
| 16.5 | 83.10 | 88.49 | 90.14 | 79.83 | 85.07 | 86.72 |
| 15.0* | 75.99 | 80.91 | 82.41 | 73.01 | 77.79 | 79.29 |
| 4.0 | 22.09 | 23.50 | 23.90 | 21.30 | 22.67 | 23.07 |
| 2.0 | 11.54 | 12.27 | 12.47 | 11.15 | 11.85 | 12.05 |
| (ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता) | | | | | | |
| 1.0 | 6.11 | 6.49 | 6.59 | 5.91 | 6.28 | 6.38 |
| (ग) लौटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम | | | | | | |
| (i) वातित | 4.99 | 5.31 | — | 4.79 | 5.10 | — |
| (ii) अवातित | 4.97 | 5.29 | — | 4.77 | 5.08 | — |
| (घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम, शुद्ध | — | — | 5.44 | — | — | 5.24 |

टिप्पण :—

(1) (*) वातित क्वालिटी-विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित है किन्तु उन में उत्पाद शुल्क, बिक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित है किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण:—

(i) फुटकर विक्रेता से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

(ii) "थोक विक्रेता" से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/72-सी० तथा पी०]

एफ० जी० टी० मैनेजिज,

निदेशक (वनस्पति) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972